

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

3

अनुमति वाद संख्या :- 128/20-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री निरल तोपनो

- विक्रेता

श्रीमती सीमा लुगुन

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
08.10.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री निरल तोपनो पिता मथुरा तोपनो ग्राम-कुल्डा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने श्रीमती सीमा लुगुन पति श्री लोरेंस आईन्द ग्राम-ईचा करंजटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="319 739 1404 828"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तोरपा</td> <td>53</td> <td>317</td> <td>3135</td> <td>0.07½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1486302450 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 529 दिनांक 26.09.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम भोजोराम मुण्डा वगैराह है। पंजी II के अनुसार भोजराय मुण्डा के नाम भूमि का रकबा 37.36 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.11 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 75241.00 (पचहत्तर हजार दो सौ एकतालीस) रू० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 3.03½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री निरल तोपनो पिता मथुरा तोपनो को श्रीमती सीमा लुगुन पति श्री लोरेंस आईन्द के साथ ग्राम तोरपा के खाता सं० 317 खेसरा संख्या 3135 कुल रकबा 0.07½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 75241.00 (पचहत्तर हजार दो सौ एकतालीस) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंषदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">2/08/10/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	तोरपा	53	317	3135	0.07½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
तोरपा	53	317	3135	0.07½								

2/08/10/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।